

नगर विकास एवं आवास विभाग

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लो० एवं ह०),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक—३०/०४/१८

विषय: वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर परिषद चक्रधरपुर को शहरी जलापूर्ति योजना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु भुगतान के लिए शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन मद के TSP प्रक्षेत्र से कुल 15,06,839/-रुपये (पन्द्रह लाख छः हजार आठ सौ उनचालीस रुपये) मात्र सहाय्य अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चक्रधरपुर नगर परिषद के पत्रांक— 539 दिनांक—27.03.18 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर परिषद चक्रधरपुर को शहरी जलापूर्ति योजना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु भुगतान के लिए शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन मद के TSP प्रक्षेत्र से कुल 15,06,839/-रुपये (पन्द्रह लाख छः हजार आठ सौ उनचालीस रुपये) मात्र सहाय्य अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्य शीर्ष—2217—शहरी विकास—उप मुख्यशीर्ष—80—सामान्य—लघुशीर्ष—796—जनाजातीय क्षेत्र उपयोजना—उपशीर्ष—38—शहरी योजना एवं परियोजना प्रबंधन हेतु सहाय्य अनुदान—विस्तृत शीर्ष—06—अनुदान—79— सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड—485221780796380679 से विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, चक्रधरपुर नगर परिषद होंगे, जिनके द्वारा चक्रधरपुर कोषागार से निकासी की जाएगी।

4. कार्यपालक पदाधिकारी, चक्रधरपुर नगर परिषद सभी तथ्यों की जाँच कर संबंधित परामर्शी के साथ किये गये एकरानामा के अनुसार परामर्शी शुल्क का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

5. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष परामर्शी मद से चक्रधरपुर नगर परिषद को आवंटित राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधी प्रतिवेदन निम्नवत है:-

क्र०	निकाय का नाम	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	आवंटित राशि (रुपये में)	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण—पत्र की राशि (रुपये में)
i	ii	iii	iv	v
1	चक्रधरपुर नगर परिषद	35/01.07.2009 100/17.03.2011 69/04.10.2012	500000 1000000 5000000	500000 1000000 5000000

6. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या—759 / वि० दि०—20.03.2015 की कंडिका—5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता—2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

7. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता—2016 का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. कार्यपालक पदाधिकारी, चक्रधरपुर नगर परिषद को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम—2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का छुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

9. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०—2561 / दिनांक—17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय—समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।


10. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों की जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या—759 / वि० दिनांक—20.03.2015 (कंडिका—5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या—759 / वि०, दिनांक—20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन


20.4.18
(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक—JUIDCO Ltd./Chakradharpur/WS/645/2016 /0

राँची, दिनांक 20/04/18

प्रतिलिपि—माननीय विभागीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/योजना—सह—वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सहाकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, चक्रधरपुर नगर परिषद/कोषागार पदाधिकारी, चक्रधरपुर कोषागार/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुमाल, CMM को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/Online आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20.4.18
सरकार के अपर मुख्य सचिव।